तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **सांवलदान बनाम वजा वगैरह, मुकदमा संख्या :— 02/2018**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
11.02.2025	अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा जाजुसण में पुराना खेत खसरा संख्या 05 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा एवं खसरा संख्या 145/9 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा किस्म जमीन मुझ प्रार्थी के दादा प्रभूदान पुत्र पूरदान कौम चारण की खातेदारीसुदा व कब्जासुदा थी, तत्पश्चात उक्त भूमि मेरे दादा की मृत्यु के पश्चात पिता मोडदान के नाम दर्ज हुई एवं वर्तमान में नवीन खसरांन अनुसार उक्त भूमि मुझ प्रार्थी के नाम खातेदारी में है। पुराना खेत खसरा संख्या 05 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा का वर्तमान खसरा संख्या 07 एवं 7/379 है तथा पुराना खेत खसरा संख्या 145/09 का वर्तमान खसरा संख्या 24 है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद अभी शहादत की स्टेज पर विचाराधीन है किन्तु इस दौरान आज से करीब 15 रोज पूर्व उक्त भूमि बाबत् भारतमाला परियोजना के संबंध में अखबार में उक्त भूमि अधिग्रहण बाबत् विज्ञप्ति जारी हुई जिस पर यह प्रार्थना—पत्र पेश किया है। उक्त भूमि मेरे पुराने खेत खसरा संख्या 05 का ही भू—भाग है जो मुझ प्रार्थी द्वारा प्रशासन गांवों के संग शिविर हाडेतर में उक्त खेत की पैमाईश बाबत् प्रार्थना—पत्र पेश किया उक्त प्रार्थना—पत्र पर भू निरीक्षक सांचौर हल्का पटवारी हाडेतर द्वारा उक्त खेत की जरीब व यंत्रों द्वारा दोनों गांवो की सीमा से मुस्तकील बिन्दु कायम कर नाप किया गया जिसमें वर्तमान खसरा नंबर 7/379 पुराने खेत खसरा संख्या 05 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा का भू—भाग होना बताया जो मौका फर्द से स्पष्ट साबित है किन्तु भारतमाला परियोजना के तहत उक्त भूमि अखबार में छाया के अनुसार अधिग्रहमण की जा रही है अगर ऐसा हुआ तो उक्त भूमि का पूरा का पूरा मुआवजा अप्रार्थीगण जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार है के नाम जारी हो जायेगा जिससे मुझ प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों पैसो में नहीं आंकी जा सकती है जबकि उक्त खेत पर काश्त कब्जा आज भी मुझ प्रार्थी का है तथा उक्त खेत मुझ प्रार्थी के पुराने खेत खसरा संख्या 05 का ही भू—भाग है तथा उक्त भूमि का मुआवजा अगर अप्रार्थीगण के नाम पारित किया जाता है तो मुझ प्रार्थी द्वारा पेश वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा मुझे तरह तरह की कार्यवाही करनी पड़ेगी तथा मैं गरीब काश्तकार बर्बाद हो जाउंगा इस प्रकार सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्ट्या प्रकरण मुझ प्रार्थी के पक्ष में है व मूलभूत तीनों कानूनी स्तम्भ मुझ प्रार्थी के पक्ष में है। इस कारण उक्त भूमि का मुआवजा मूल वाद के निर्णय तक रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का पेश कर निवेदन है कि वांके सरहद मोजा जाजूसन के खेत खसरा संख्या 07/379 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा मूल वाद के ताफैसला तक रोका जावे तथा अप्रार्थी संख्या 4 एवं 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमावें कि उपरोक्त आराजी का मुआवजा मूल वाद के ताफैसला तक किसी भी पक्षकार के नाम न तो पारित करे तथा न ही उक्त भूमि का मुआवजा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 (अ,ब,स,द) को दिया जावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज फरमावें। मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **:— आदेश :—** अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि वांके सरहद मौजा जाजूसन के खेत खसरा संख्या 7/379 रकबा 0.22 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम मुआ राशि (चैक) जारी नहीं करे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम जाकर दाखिल दफ्तर हो।** (प्रमोद कुमार, आर.ए.एस) सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) सांचौर जिला जालोर सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) सांचौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:04:19 IST
Reason: SelfAttested